

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 824/2008/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष वृत, अलवर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शारदा उद्योग, अलवर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अधिकृत अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/02/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर राज. (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 242/05-06/सीएसटी में पारित आदेश दिनांक 20.12.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.02.2006 के द्वारा देय 1 प्रतिशत की आंशिक कर छूट अस्वीकार करने तथा आरोपित ब्याज रूपये 1,05,801/- को अनुचित मानकर अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 24.02.2006 को आदेश पारित किया है जिसमें व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसको आगे "सीएसटी एक्ट" कहा जायेगा) के कर निर्धारण वर्ष 2003-04 में रूपये 3,25,542/- की 1 प्रतिशत आंशिक कर छूट के क्लेम को अस्वीकार कर वसूली योग्य मानते हुए ब्याज 1,05,801/- रूपये आरोपित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के आलोक में वांछित 1 प्रतिशत आंशिक कर छूट को उचित माना एवं इस बिना पर आरोपित ब्याज को भी अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील विभाग द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी को राज्य में सरसों के क्य पर चुकाये गये कर पर उसके द्वारा राज्य में विनिर्मित तेल के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देयता में से 1 प्रतिशत आंशिक कर छूट दी जायेगी, परन्तु व्यवहारी बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत लाभ भी ले रहा है। जिसके अन्तर्गत आलौच्य अवधि में उसकी तेल की

✓

लगातार.....2

अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर देयता 1 प्रतिशत से कम है। अतः उसकी कर देयता की सीमा से अधिक राशि का 1 प्रतिशत आंशिक कर छूट दिया जाना अविधिक है। इस प्रकार उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने का आग्रह किया।

5. व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उप राजकीय अभिभाषक के तर्कों का पुर जोर विरोध करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 की सभी शर्तों की पालना की है। अतः उनको 1 प्रतिशत आंशिक कर छूट का लाभ दिया जाना विधिक है एवं इस आधार पर आरोपित ब्याज का भी औचित्य नहीं रहता है।

6. उभयपक्ष की बहस एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन/मनन किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का पठन इस प्रकरण में आवश्यक हो जाता है, जो निम्न प्रकार से है :-

F.4(30)FD/Tax-Dov/2002-186 Dated 22.03.2002

In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby [notwithstanding anything contained in Sales Tax Incentive Scheme of Industrial, 1989 and Sales Tax New Deferment Scheme, for Industries, 1989 issued, under the Central Sales Tax Act, 1956 allows a dealer manufacturing edible oil in the State of Rajasthan, to claim partial exemption of tax paid in the State on purchase of oilseeds, to the extent it exceed one percent from the tax payable on edible oil so manufactured and sold in the course of inter-State trade or commerce, in the manner and subject to the conditions as follows :-


- (i) That such exemption shall be allowed only to the extent exceeding one percent of tax paid under the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 in relation to his purchases of oilseed from the registered dealers of the State and utilized by him as raw material in the manufacture of edible oil within the State.
- (ii) That such exemption shall be allowed in respect of the edible oil so manufactured in the State, only to the extent such edible oil is sold in the course of inter-State trade or commerce.
- (iii) That the dealer shall prove the actual amount of tax paid under the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 on the oilseed so used, to the satisfaction of the assessing authority, and in the absence of such proof amount may be determined by reducing his purchase price by a percentage equal to ten, plus the rate of tax notified under section 4 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994, in respect of such goods and
- (iv) That no refund of the tax paid on oilseed shall be available under this notification.

7. उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी पर 1 प्रतिशत आंशिक कर छूट लेने के लिये यह दायित्व है कि वह राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से तिलहन खरीद कर उसका राज्य में तेल का विनिर्माण करने में उपयोग करे, विनिर्मित उक्त तेल की बिक्री अन्तर्राज्यीय व्यवसाय के क्रम में करे तथा व्यवहारी को यह साबित करना होगा

कि जो तिलहन प्रयोग में लिया गया है उस पर वास्तविक रूप से कर चुकाया गया है और अंत में इस अधिसूचना के तहत कोई रिफण्ड बनता हो तो वह देय नहीं होगा। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार व्यवहारी द्वारा तिलहन राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय कर राज्य में तेल निर्माण में उपयोग लिया गया है एवं निर्मित तेल की अर्न्तप्रान्तीय व्यवसाय के क्रम में बिक्री की है। इस प्रकार उक्त अधिसूचना की शर्तें पूरी की गई हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार खरीदे गये तिल पर चुकाये गये 2 प्रतिशत कर पर 1 प्रतिशत आंशिक कर छूट दी गई है, साथ ही किसी भी प्रकार के रिफण्ड पर रोक लगाई गई है। अतः उक्त अधिसूचना के अनुसार खरीद पर चुकाये गये कर पर 1 प्रतिशत का लाभ उसकी अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर कर देयता से संबंध नहीं रखा गया है, लेकिन अगर उक्त छूट देय कर से अधिक बनती है तो उसको रिफण्ड देय नहीं होगा।

8. उपरोक्त विवेचन एवं अधिसूचना की शर्तों के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक कर छूट को स्वीकार करना एवं इस आधार पर आरोपित ब्याज को अपास्त करना विधिक है। ऐसा ही सिद्धान्त कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपील संख्या 825/2008/अलवर दिनांक 24.09.2015 में समान बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित किये गये हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश को प्रतिप्रेषित एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उसकी अनुपालना कर लेने के कारण अपील को सारहीन बताने के तथ्य से सहमति इस आधार पर नहीं रखी जा सकती क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने प्रतिप्रेषण शब्द को अपने संशोधित आदेश दिनांक 04.03.2008 द्वारा संशोधित कर दिया है। उपरोक्त आलोक में जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रिफण्ड का क्लेम नहीं किया गया है, अपीलीय अधिकारी द्वारा 3,25,542/- रुपये की आंशिक कर छूट को स्वीकार करने एवं इस पर आरोपित ब्याज को अपास्त करने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तदनुरूप विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।


5.2.2016
(मदन लाल)
सदस्य